

कार्यालय नजारत, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला बुलन्दशहर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बाह्य न्यायालय खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर परिसर में चाहरदीवारी की पुरानी ईंट एवं मलवे की सीलबन्द निविदा के माध्यम से नीलामी दिनांक 25.04.2022 को समय 4:30 बजे केन्द्रीय हाल जिला न्यायालय परिसर बुलन्दशहर में की जानी है। सीलबन्द निविदा के माध्यम से नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में उक्त मलवे को डिप्टी नाजिर बाह्य न्यायालय, खुर्जा से सम्पर्क करके देख सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 25.04.2022 को अपराह्न 1:30 बजे तक प्रत्येक स्थिति में अपनी सीलबन्द निविदा मय पहचान पत्र/आधार कार्ड केन्द्रीय नजारत बुलन्दशहर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, इसके उपरान्त कोई सीलबन्द निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

नीलामी की शर्तें

1. सीलबन्द निविदा के माध्यम से नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. सीलबन्द निविदा माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकार होने की दशा में नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि एकमुस्त तुरन्त जमा करनी होगी।
3. नीलामी स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर ईंटे व मलवा अपने स्थान से हटा दिया जायेगा।
4. नीलामी में भाग लेने वालों को समय-समय पर माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करना होगा।
5. माननीय जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सीलबन्द निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

दिनांक- 18.04.2022

(राम प्रताप सिंह)
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं० 02
अध्यक्ष, नीलामी समिति
जनपद न्यायालय बुलन्दशहर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित-

1. श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी नजारत, खुर्जा को सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।
3. कार्यालय जिलाधिकारी को सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद खुर्जा एवं बुलन्दशहर को सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. जिला सूचनाधिकारी को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक- 18.04.2022

(राम प्रताप सिंह)
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं० 02
अध्यक्ष, नीलामी समिति
जनपद न्यायालय बुलन्दशहर